न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2015 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 22.09.2015
G.C.M.S. NO. :- 2015/00040

1–उदयलाल पिता मगनीराम जाति मेनारिया, उम्र 72 वर्ष, निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–किशनलाल पिता मगनीराम जाति मेनारिया, उम्र 68 वर्ष, निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–शंकरलाल पिता उदयलाल जाति मेनारिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1–मृत्तक आवंटी श्री मिठूसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत के बजाएः–
1/1–श्रीमति सायर कुंवर पत्नि स्व. मिठूसिंह जाति राजपूत, उम्र 75 वर्ष निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/2–श्रीमति शंभू कुंवर पुत्री स्व. मिठूसिंह पत्नि कैलाश सिंह सोलंकी निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/3–श्रीमति नारायण कुंवर पुत्री स्व. मिठूसिंह पत्नि लक्ष्मण सिंह राठौड़ निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/4–श्रीमति मंजु कुंवर पुत्री स्व. मिठूसिंह पत्नि कालुसिंह राजपूत निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/5–श्रीमति नानु कुंवर पुत्री स्व. मिठूसिंह पत्नि भैरूसिंह राजपूत निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 16/2015 (रा.प्रा.पत्र)
उदयलाल पिता मगनीराम मेनारिया निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम मृत्तक आवंटी मिठूसिंह के बजाएः–श्रीमति सायर कुंवर पत्नि स्व. मिठूसिंह राजपूत निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन कमेटी, बडीसादडी बमिसल क्रमांक 1034/2002 आवंटन दिनांक 15.01.2002

उपस्थितिः– 1– श्री शिव नारायण जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री चन्दनमल जणवा अधिवक्ता वि. सं. 1, 3 एवं 4

निर्णय

दिनांक 07.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा करसाना, तहसील डूंगला की बिलानाम आराजी नम्बर 33 रकबा 1 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से विपक्षी को तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 1034/2002 से दिनांक 15.01.2002 को आवंटित की जो निरस्त योग्य है। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कभी भी कब्जा–काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्यों का ही चला आ रहा है। एक ही दिन में दस्तावेज तैयार कर आनन–फानन में मात्र खानापूर्ति करते हुए यह आवंटन किया जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृत्तक विपक्षी मिठूसिंह का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर मृत्तक विपक्षी मिठूसिंह के वारिसान को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से पहले अधिवक्ता श्री अकबर हुसैन ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनमल ने अधिकार पत्र पेश किया। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई एवं तहसीलदार, डूंगला से मौका रिपोर्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तलब की गई। भू आवंटन पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण को मौजा करसाना, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 33 रकबा 1 बीघा भूमि का जो आवंटन किया है वो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। क्योंकि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आनन-फानन में एक ही दिन में पत्रावली तैयार कर मात्र खानापूर्ति करते हुए यह आवंटन किया है आवंटन सलाहकार समिति की कौरम भी पूरी नहीं हुई मात्र तहसीलदार व सरपंच के हस्ताक्षर कराकर राय मांग ली गई है। विपक्षीगण के पक्ष में उक्त भूमि आवंटित करने की आम जनता में कोई उद्घोषणा भी नहीं की गई है। आवेदन में जिस आराजी का आवंटन चाहा गया उसमें आराजी नम्बर 32 लिखे हैं उसके बाद आराजी नम्बर 42 लिखे तथा कांट-छांट कर रखी है। आवंटी के आवेदन पत्र पर पटवारी द्वारा भी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की है तथा रिपोर्ट में भी पी-14 नहीं है स्पष्ट दर्शाया गया है। मृत्तक विपक्षी मिठूसिंह को आवंटित उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 32, 34, 35 व 38 के मध्य होकर उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का नियमन योग्य कब्जा चला आ रहा है व वर्तमान में भी उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। आवंटन दिनांक से विपक्षीगण का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है तथा न ही आवंटन नियमों की पालना की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आवंटन निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि मृत्तक आवंटी मिठूसिंह को तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा करसाना, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 33 रकबा 1 बीघा भूमि का विधिवत् पूर्ण नियमों की पालना करते हुए आवंटन किया गया है। आवंटित आराजीयात पर मिठूसिंह काबिज हो काश्त करता चला आ रहा था और मिठूसिंह की मृत्यु के बाद विपक्षीगण जो कि उसके वैध वारिसान होने की हैसियत से काबिज हो वर्तमान में भी काश्त कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 16/2015 (रा.प्रा.पत्र)
उदयलाल पिता मगनीराम मेनारिया निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम मृत्तक आवंटी मिठूसिंह के बजाएः-श्रीमति सायर कुंवर पत्नि स्व. मिठूसिंह राजपूत निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर यह आवेदन प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तलबीदा आवंटन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा मृत्तक आवंटी मिठूसिंह को ग्राम करसाना, तहसील डूंगला की बिलानाम आराजी संख्या 33 रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन हेतु पेश आवेदन में पहले आराजी नम्बर 32 अंकित है उसे काटकर आराजी नम्बर 42 किया गया है तथा आराजी नम्बर 42 को भी काटा गया है उसके बाद कोई नए आराजी नम्बर आवेदन में अंकित नहीं किए हैं इस प्रकार आवेदन पत्र में आराजी नम्बरों में कांट-छांट किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

तहसीलदार, डूंगला से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा करसाना की आराजी नम्बर 33 रकबा 1 बीघा (0.2530 है.) भूमि नानु कुंवर, नारायण कुंवर, मंजु कुंवर, शंभू कुंवर पिता मिठूसिंह व सायर कुंवर पति मिठूसिंह राजपूत निवासी करसाना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर श्री किशनलाल पिता मगनीराम ब्राह्मण निवासी करसाना का कब्जा होकर फसल चना की काश्त कर रखी है तथा 1/2 हिस्से पर श्री शंकरलाल पिता उदयलाल ब्राह्मण निवासी करसाना का कब्जा होकर फसल चरी ज्वार की काश्त कर रखी है। आवंटीत आराजीयात पर आवंटन दिनांक से लेकर आदिनांक तक आवंटी का कब्जा नहीं होना एवं काश्त भी नहीं करना बताया है तथा आवंटीत आराजीयात पर पड़ौसी खातेदार कृषक श्री किशनलाल पिता मगनीराम एवं शंकरलाल पिता उदयलाल ब्राह्मण का पुराना कब्जा निरन्तर कई वर्षों से होना बताया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई आधार या ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे उनका आवंटीत आराजीयात पर कब्जा–काश्त होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षीगण का उनको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि/आराजीयात पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे वर्तमान में भी उक्त भूमि/आराजीयात विपक्षीगण के खाते में गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को मौजा करसाना, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 33 रकबा 1.00 बीघा का जरिये मिसल नम्बर 1034/2002 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official